



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र 1943 (श०)
(सं० पटना 254) पटना, मंगलवार, 6 अप्रील 2021

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

25 मार्च 2021

सं० : EXP-09/2019(अनु०) (खण्ड-2)-पश्चिम चम्पारण-22—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या- बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/02/2019 दिनांक 01.03.2021 के आलोक में बिहार राज्य के 02-पश्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी श्री राकेश कुमार, निवासी हरिवाटिका, पोखरा, बेतिया, पो० बेतिया, जिला- पश्चिम चम्पारण, बिहार इस आदेश की तारीख 01.03.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव -सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/दिनांक 01 मार्च, 2021/10 फाल्गुन, 1942 (शक)

सं.बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/02/2019—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, **02-पश्चिम चम्पारण** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने 5 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-26)-5704 के जरिए अग्रेषित दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री राकेश कुमार**, जो बिहार के **02-पश्चिम चम्पारण** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **बहुजन समाज पार्टी** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम चम्पारण जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री राकेश कुमार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अनुसार, दिनांक 12 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री राकेश कुमार** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री राकेश कुमार** द्वारा 09 मार्च, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा अपने दिनांक 21 अप्रैल, 2020 के पत्र सं० 274/निर्वा० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा अपने 21 अप्रैल, 2020 के पत्र सं० 274/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री राकेश कुमार** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री राकेश कुमार** निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- ii उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **02-पश्चिम चम्पारण** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले **बहुजन समाज पार्टी** के अभ्यर्थी **श्री राकेश कुमार**, निवासी हरिवाटिका, पोखर, बेतिया, पो० बेतिया, जिला-पश्चिम चम्पारण, बिहार इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
सुजित कुमार मिश्र,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated 1 March, 2021
10 Phalgun, 1942 (Saka)*

No. BR-HP/ES-I/02/2019 —WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **02-Paschim Champaran** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **Paschim Champaran, Bettiah** District, forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No. Exp-09/2019(Part-26)-5704, dated 5th July, 2019, **Shri Rakesh Kumar** contesting candidate of **Bahujan Samaj Party** from **02-Paschim Champaran** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Paschim Champaran** District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 12th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Rakesh Kumar** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 12th February, 2020, **Shri Rakesh Kumar** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Rakesh Kumar** on 9th March, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Paschim Champaran, Bettiah** vide his letter 274/Ele. dated 21st April, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer vide his letter No.274/निर्वा. dated 21st April, 2020 has stated that **Shri Rakesh Kumar**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Rakesh Kumar** failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh Rakesh Kumar, R/o Hariwatika, Pokhra, Bettiah, Post-Bettiah, Dist-West Champaran** and the contesting candidate of **Bahujan Samaj Party** for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from **02-Paschim Champaran** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
SUJEET KUMAR MISHRA,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 254-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>